भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 1804
गुरुवार, 5 दिसंबर, 2024/14 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

<u>विमानों की आपातकालीन लैंडिंग</u>

1804. श्री के. गोपीनाथः

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विगत दो वर्षों के दौरान विभिन्न एयरलाइनों को तकनीकी समस्याओं के कारण आपातकालीन लैंडिंग जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विमान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त एयरलाइनों में प्रशिक्षित इंजीनियरों और आधुनिक उपकरणों का अभाव है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए किए जा रहे सुरक्षा उपायों का ब्यौरा क्या है और ऐसी समस्याओं का समाधान किस प्रकार किया जा रहा है?

<u>नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)</u>

(क) और (ख)**:** पिछले दो वर्षों अर्थात 2022 और 2023 तथा 2024 (दिनांक 29.11.2024 तक) के दौरान तकनीकी समस्याओं के कारण आपातकालीन लैंडिंग की कुल 20 घटनाएं हुई हैं। पिछले दो वर्षों और वर्तमान वर्ष के लिए आपातकालीन लैंडिंग का विमान-वार ब्यौरा अनुलग्नक के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ)**:** वर्तमान में, देश में नागर विमानन क्षेत्र/विमानन उद्योग में प्रशिक्षित इंजीनियरों और आधुनिक उपकरणों की कोई कमी नहीं है। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने विनियम, नागर विमानन अपेक्षाएँ (सीएआर-147) (बेसिक) - अनुमोदित बेसिक अनुरक्षण प्रशिक्षण संगठन जारी किया है। ये विनियम अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ) के अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं और यूरोपीय संघ विमानन सुरक्षा एजेंसी (ईएएसए) के नियमों के अनुसार सुसंगत बनाए गए हैं। ये विनियम विमान के रखरखाव के लिए सक्षम/कुशल जनशक्ति के विकास के लिए पाठ्यक्रम और कुशल प्रशिक्षण आवश्यकताओं को सुचारु बनाते हैं। इन विनियमों के अनुसार, व्यावहारिक प्रशिक्षण का एक हिस्सा अनुमोदित वायुयान अनुरक्षण संगठन (एएमओ) द्वारा प्रदान किया जाना अपेक्षित है, जो छात्रों की योग्यता बढ़ाने के लिए जीवंत वातावरण, व्यावहारिक कार्य अनुभव प्रदान करता है। सीएआर-147 (बेसिक) अनुमोदित संस्थान के तहत प्रशिक्षण पूरा करने और अपेक्षित डीजीसीए परीक्षा उत्तीर्ण करने पर, छात्र विमान अनुरक्षण इंजीनियर (एएमई) लाइसेंस जारी किए जाने के लिए पात्र हो जाते हैं।

वर्तमान में, मूल अनुरक्षण प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए डीजीसीए द्वारा 57 एएमई प्रशिक्षण संस्थानों को सीएआर-147 (बेसिक) के अंतर्गत अनुमोदन प्रदान किया गया है, जो भारतीय नागर विमानन उद्योग की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

वर्तमान में, भारतीय पंजीकृत विमानों को प्रमाणित करने के लिए डीजीसीए द्वारा विभिन्न श्रेणियों, अर्थात कैट ए, बी1, बी2, बी3 और सी आदि में 16202 एएमई लाइसेंस जारी किए गए हैं। एएमई विमान की निरंतर उड़ान योग्यता बनाए रखने के लिए डीजीसीए द्वारा अनुमोदित एएमपी के अनुसार विमान का अनुरक्षण करता है।

सीएआर-145 के तहत विमान अनुरक्षण, मरम्मत और ओवरहाल संगठनों (एमआरओ) को अनुमोदन प्रदान करने के लिए नागर विमानन अपेक्षाओं के अनुसार यह अपेक्षित है कि अनुरक्षण कर्मियों को विमान के अनुरक्षण हेतु विनिर्माता के दिशानिर्देशों के अनुसार, नवीनतम प्रौद्योगिकी सहित पर्याप्त प्रारंभिक और आवर्ती प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, जिससे निरंतर सक्षमता सुनिश्चित की जा सके, ताकि इसे नियोजन/अनुबंध की अवधि के दौरान बनाए रखा जा सके।

डीजीसीए, एमआरओ के अनुमोदित केंद्रों और एयरलाइनों की वार्षिक निगरानी/ संपरीक्षा आयोजित करके उनके प्रस्तुत किए गए अनुपालनों के माध्यम से सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करता है।

अनुलग्नक

पिछले दो वर्षों और वर्तमान वर्ष (अब तक) में आपातकालीन लैंडिंग का विमान-वार ब्यौरा

विमान प्रकार	**2022**	**2023**	**2024**	**कुल**
ए-320	-	02	04	**06**
ए-321	-	01	-	**01**
एटीआर-72	02	01	-	**03**
बी737	02	01	03	**06**
बी777	01	-	-	**01**
डीएएसएच8 क्यू400	02	-	-	**02**
ईएमबी-145 एलआर	-	-	01	**01**
कुल	**07**	**05**	**08**	**20**

*****